

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वैशाली जिलानर्गत जिला परिषद्/नगर परिषद्, हाजीपुर/नगर पंचायत, लालाज/नगर पंचायत, महारा/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उच्च शिक्षक नियोजन 2016 हेतु विषयवार/कोटिवार परों का विवरण इस प्रकार है -

1. जिला परिषद्, वैशाली
(उच्च माध्यमिक)


क्रमांक	विषय	अनारक्षित	अनारक्षित (आहिल)	पिछडा वर्ग	पिछडा वर्ग (आहिल)	अपिठव0	अपिठव0 (आहिल)	अनु0 जाति	अनु0 जाति (आहिल)	अनु0 जनजाति	अनु0 जनजाति (आहिल)	आरक्षित महिला	योग
1	कल्लु विज्ञान	5	2	1	1	2	1	4	2	0	0	1	19
2	बनस्पति शास्त्र	7	3	4	1	5	2	0	5	2	0	1	30
3	रसायन शास्त्र	27	14	7	3	10	5	9	5	1	0	3	84
4	भौतिकी	30	16	7	4	11	5	9	5	1	0	3	91
5	गणित	17	8	4	2	6	3	5	3	1	0	2	51
6	इतिहास	2	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	7
7	राजनीति विज्ञान	0	1	1	0	2	1	3	0	1	0	0	9
8	भूगोल	1	1	1	0	2	1	3	1	0	0	1	11
9	अर्थशास्त्र	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	6
10	समाज शास्त्र	8	4	3	1	3	2	3	2	0	0	1	27
11	मनोविज्ञान	13	7	3	2	5	2	4	3	0	0	1	40
12	दूरदर्शनशास्त्र	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	7
13	गृहविज्ञान	0	0	1	0	2	1	0	5	0	0	1	10
14	संस्कृत	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
15	हिन्दी	2	1	2	1	8	2	5	2	1	0	1	25
16	अंग्रेजी	21	12	5	3	7	4	7	4	1	0	2	66
17	उर्दू	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	5
18	उद्योगिता (कोपी0एच0)	5	3	1	1	2	1	2	1	0	0	0	16
19	कैलाशास्त्र	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	4
20	आहिली (एन0आर0सी0)	16	8	4	2	5	3	5	3	1	0	1	48
21	संगीत	5	3	1	1	2	1	1	1	0	0	0	15
	कुल	162	86	51	22	73	38	68	45	10	0	18	573


निरदेशक (आ0 प्रि0) बिहार के पत्रांक 1592, दिनांक 03.08.2012 एवं उल्लेखित सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 458 दिनांक 30.09.2002 के निदेशानुसार त्रिष सभ्यत्ववहार में रोस्टर लिस्ट 17, 50 एवं 84 को उच्च सभ्यत्ववहार में विकलांग का नियोजन किया जाएगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रस्ताव कार्यात्मक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त निदेश के अनुसार ही तैयार किया गया है।

बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के पत्रांक 2342 दिनांक 15.02.16 के आदेश के आलोक में आरक्षित एवं शैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत शैरित आरक्षण नियमानुसार रेष है।

बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के पत्रांक 2526 दिनांक 18.02.16 के आदेश के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता-पोती, नाती-नती को 02 प्रतिशत तिरमानुसार आरक्षण रेष है।


जिला कार्यालय पदाधिकारी
वैशाली


जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली

कार्यालय जिज्ञा शिक्षा परदाधिकारी, वैशाली

सार्वजनिक सूचना

एनर् झरुा सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि वैशाली जिलाकार्यालय जिज्ञा परिसर्/नगर परिसर्, हाजीपुर/नगर पंचायत, अलाजा/नगर पंचायत, महानर/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उच्च शिक्षक नियोजन 2016 हेतु विषयवार/कोटिवार पदों का विवरण इस प्रकार है -

2. नगर परिसर्, हाजीपुर (उच्च माध्यमिक)

क्रमांक	विषय	अनायकित	अनायकित (अहिजा)	पिछर् वर्ष	पिछर् वर्ष (अहिजा)	अपदिपव0	अपदिपव0 (अहिजा)	अनु0 जानि	अनु0 जानि (अहिजा)	अनु0 जनजानि	अनु0 जनजानि (अहिजा)	आयकित अहिजा	योग
1	जलु विज्ञान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	वजसपति शास्त्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	रसायन शास्त्र	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3
4	भौतिकी	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	4
5	योग	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
6	इतिहास	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	राजनीति विज्ञान	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	भूगोल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	अवशास्त्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	समाज शास्त्र	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
11	भलीविज्ञान	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
12	रुनिशास्त्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	युधविज्ञान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	संस्कृत	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
15	हिन्दी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	अंगीजी	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
17	उर्दू	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
18	उद्योगिता (इंपीपेरस0)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
19	लेखाशास्त्र	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
20	अहिन्दी (पराअपरेकी0)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
21	संगीत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	4	3	2	0	8	0	5	0	0	0	0	22

निरेशक (अप0 पि0) विहार के पत्रांक 1592, निनांक 03.08.2012 एवं उल्लेखित शासनालय पशासल विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 458 निनांक 30.09.2002 के निरेशानुसार लिख सभास्यवहार में एकर बिनु 17, 50 एवं 84 को उष सभास्यवहार में विकलांग वर नियोजन किया जाएगा।

पशासित किया जाता है कि यह प्रकाश कारिका एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त निरेश के अनुसार ही किया गया है।

बिहार सरकार, शासनालय पशासल विभाग, पटना के पत्रांक 2342 निनांक 15.02.16 के आदेश के आलाक में आयकित एवं कैर आयकित कोटि में अहिजाओं के लिए 35 प्रतिशत कैरिज आरक्षण नियमानुसार देर है।

बिहार सरकार, शासनालय पशासल विभाग, पटना के पत्रांक 2526 निनांक 18.02.16 के आदेश के आलाक में एकर के सनभरना सेवकियों के पना-पनी, नानी-जननी को 02 प्रतिशत नियमानुसार आरक्षण देर है।

जिला कारिका परदाधिकारी
विशार बिहार
वैशाली

23/16
जिला शिक्षा परदाधिकारी,
वैशाली

कायलिय जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

सार्वजनिक सूचना


एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वैशाली जिलान्तर्गत जिला परिषद्/नगर परिषद्, हाजीपुर/नगर पंचायत, लालांजा/नगर पंचायत, महाराज/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उच्च शिक्षक नियोजन 2016 हेतु विषयवार/कोटिवार पदों का विवरण इस प्रकार है -


3. नगर पंचायत, लालांजा (उच्च माध्यमिक)

क्रमांक	विषय	अनारक्षित	अनारक्षित (आरिजा)	पिछडा वर्ग	पिछडा वर्ग (आरिजा)	अOपिOखO (आरिजा)	अOपिOखO (आरिजा)	अनुO जाति (आरिजा)	अनुO जाति (आरिजा)	अनुO जाति (आरिजा)	अनुO जाति (आरिजा)	अनुO जाति (आरिजा)	आरक्षित महिला	योग
1	तलु विज्ञान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	वलरपति शास्त्र	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
3	रसायन शास्त्र	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4
4	भौतिकी	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4
5	गणित	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
6	इतिहास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	राजनीति विज्ञान	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	भूगोल	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
9	अर्थशास्त्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	समाज शास्त्र	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
11	अज्ञात विज्ञान	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
12	दर्शनशास्त्र	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	भूगोविज्ञान	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
14	संस्कृत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	हिन्दी	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
16	अंग्रेजी	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4
17	उर्दू	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	उद्योगिता (ईपीएलओ)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19	लेखाशास्त्र	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
20	आरिजी (एओआरओबीओ)	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3
21	संजीत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	7	5	0	0	13	0	4	0	0	0	0	0	29

नियोजक (आO रिओ) विहार के पत्रांक 1592, दिनांक 03.08.2012 एवं उल्लेखित सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 458 दिनांक 30.09.2002 के नियमानुसार जिला समन्वयक में रीफर बिन्दु 17, 50 एवं 84 को रूख समन्वयक में विवरण का निर्धारण किया जाएगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रस्ताव कार्यात्मक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त विरह के अनुसार ही तैयार किया गया है।
 विहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के पत्रांक 2342 दिनांक 15.02.16 के आदेश के अलाके में आरक्षित एवं रीर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार देय है।
 विहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के पत्रांक 2526 दिनांक 18.02.16 के आदेश के अलाके में राज्य के स्तरान्त सेनाजियों के पोता-पौती, बानी-बनकी को 02 प्रतिशत नियमानुसार आरक्षण देय है।


 जिला शिक्षा पदाधिकारी,
 वैशाली


 जिला शिक्षा पदाधिकारी,
 वैशाली

कायलिय जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

सार्वजनिक सूचना

एनर् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वैशाली जिलानर्गत जिला परिषद्/नगर परिषद्, हजीपुर/नगर पंचायत, लालांज/नगर पंचायत, अहलाए/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उच्च शिक्षक नियोजन 2016 हेतु विषयवार/कोटिवार पदों का विवरण इस प्रकार है -

4. नगर पंचायत, अहलाए (उच्च माध्यमिक)

क्रमांक	विषय	अनायक्षित	आयक्षित (आहिला)	पिछडा वर्ग (आहिला)	पिछडा वर्ग (आहिला)	अ0वि0व0 (आहिला)	अ0वि0व0 (आहिला)	अनु0 जाति (आहिला)	अनु0 जाति (आहिला)	अनु0 जाति (आहिला)	अनु0 जाति (आहिला)	अनु0 जाति (आहिला)	अनु0 जाति (आहिला)	आयक्षित महिला	योग
1	तनु विज्ञान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	वलरयति शास्त्र	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	रसायन शास्त्र	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4
4	भौतिकी	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4
5	गणित	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6	सुनिहास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	एजलीति विज्ञान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	भूगोल	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
9	अर्थशास्त्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	समाज शास्त्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	मनोविज्ञान	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
12	रसनिशास्त्र	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	गृहविज्ञान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	संस्कृत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	हिन्दी	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	अँग्रेजी	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4
17	उर्दू	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	उद्योग (ई0पी0एक0)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19	लेखाशास्त्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	आहिली (एन0आर0सी0)	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4
21	संगीत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	10	5	0	0	9	0	4	0	0	0	0	0	0	28

निरदेशक (आ0 सि0) बिहार के पत्रांक 1592, दिनांक 03.08.2012 एवं उल्लेखित सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 458 दिनांक 30.09.2002 के निदेशानुसार निरक्षर समाव्यवहार में शेषर निरनु 17, 50 एवं 84 को उच्च समाव्यवहार में निकलाने का निर्धीतन किया जाएगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रस्ताव कारीक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त निदेश के अनुसार ही तैयार किया गया है।
बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के पत्रांक 2342 दिनांक 15.02.16 के आदेश के आलेक में आयक्षित एवं शैर आयक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण नियमानुसार देय है।

बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के पत्रांक 2526 दिनांक 18.02.16 के आदेश के आलेक में एव्य के स्तरनगर सेवारियों के योग-योगी, गानी-कतली को 02 प्रतिशत नियमानुसार आरक्षण देय है।

जिला कारीकभा परिक्षकरी
श्री (सुप्रभासा) वैशाली

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

सार्वजनिक सूचना

एन्ट्रि द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वैशाली जिलान्तर्गत जिला परिषद्/नगर परिषद्, हाजीपुर/नगर पंचायत, लालाज/नगर पंचायत, महलार/आस्थात्मिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2016 हेतु विषयवार/कोटिवार परों का विवरण इस प्रकार है -

2. नगर परिषद्, हाजीपुर (माध्यमिक)

क्रमांक	विषय	अनाथकृत	अनाथकृत (आहिला)	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग (आहिला)	अपीठवत	अपीठवत (आहिला)	अनु० जाति	अनु० जाति (आहिला)	अनु० जनजाति	अनु० जनजाति (आहिला)	आरक्षित महिला	योग
1	बिन्धी	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2	अँथोनी	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
3	संस्कृत	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
4	उर्दू	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
5	विज्ञान	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	गणित	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	धार्मिक विज्ञान	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	याथीरिक शिक्षा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	संजीत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	3	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	7

निरदेशक (आ० शि०) बिहार के पत्रांक 1592, दिनांक 03.08.2012 एवं उल्लेखित धार्मिक प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 458 दिनांक 30.09.2002 के निदेशानुसार जिस समव्यवहार में दोषर दिनांक 17, 50 एवं 84 को उक्त समव्यवहार में विवरण का नियोजन किया जाएगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रस्ताव कार्यात्मक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त निदेश के अनुसार ही तैयार किया गया है।

बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के पत्रांक 2342 दिनांक 15.02.16 के आदेश के आलोक में आरक्षित एवं नैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षेत्रीय आरक्षण नियमानुसार देय है।

बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के पत्रांक 2526 दिनांक 18.02.16 के आदेश के आलोक में उक्त के स्थानगत सेनानियों के पोला-पोती, नानी-नानी कोटे 02 प्रतिशत नियमानुसार आरक्षण देय है।

जिला कार्यकारी पदाधिकारी
वैशाली

23/11/16

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

सार्वजनिक सूचना

एनर् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वैशाली जिलान्तर्गत जिला परिषद्/नगर परिषद्, झुंजीपुर/नगर पंचायत, तालांज/नगर पंचायत, महनगर/आस्थात्मिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आस्थात्मिक शिक्षक नियोजन 2016 हेतु विषयवार/कोटिवार पदों का विवरण इस प्रकार है -

3. नगर पंचायत, तालांज (आस्थात्मिक)

क्रमांक	विषय	अनारक्षित	आरक्षित (अहिल)	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग (अहिल)	अ0पि0व0	अ0पि0व0 (अहिल)	अनु0 जाति	अनु0 जाति (अहिल)	अनु0 जलजाति	अनु0 जलजाति (अहिल)	आरक्षित गहिला	योग
1	हिली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	अँगोली	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	संस्कृत	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
4	उर्दू	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
5	विज्ञान	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
6	गणित	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
7	सामाजिक विज्ञान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	शारीरिक शिक्षा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	संगीत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	1	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	7

निरदेशक (आ0 डि0) विद्यार के पत्रांक 1592, दिनांक 03.08.2012 एवं उल्लेखित सामान्य प्रशासन विभाग, विद्यार, पटना के पत्रांक 458 दिनांक 30.09.2002 के निर्देशानुसार जिस समव्यवहार में शीष्य विद्यार 17, 50 एवं 84 को उस समव्यवहार में विकलांग का नियोजन किया जाएगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रस्ताव कार्यात्मक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, विद्यार, पटना एवं शिक्षा विभाग, विद्यार, पटना से प्राप्त निदेश के अनुसार ही तैयार किया गया है।
विद्यार, सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के पत्रांक 2342 दिनांक 15.02.16 के आदेश के अन्तर्गत एवं और आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत शेरितन आरक्षण नियमानुसार देव है।

विद्यार, सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के पत्रांक 2526 दिनांक 18.02.16 के आदेश के अन्तर्गत में राज्य के स्थानभरा सेनासिद्धों के पान-पानी, गानी-नतनी को 02 प्रतिशत नियमानुसार आरक्षण देव है।

जिला कार्यात्मक पदाधिकारी
(आस्थात्मिक), वैशाली

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

सार्वजनिक सूचना

एनर् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वैशाली जिलान्तर्गत जिला परिषद्/नगर परिषद्, हाजीपुर/नगर पंचायत, ठाऊल/नगर पंचायत, महलार/आस्थात्मिक/उच्च आस्थात्मिक विद्यालयों में आस्थात्मिक शिक्षक नियोजन 2016 हेतु विषयवार/कोटिवार पदों का विवरण इस प्रकार है -


4. नगर पंचायत, महलार (आस्थात्मिक)


क्रमांक	विषय	अनारक्षित	अनारक्षित (आहेल)	पिछ्सा वर्ग	पिछ्सा वर्ग (आहेल)	अ0वि0व0	अ0वि0व0 (आहेल)	अनु0 जाति	अनु0 जाति (आहेल)	अनु0 जनजाति	अनु0 जनजाति (आहेल)	आरक्षित आहेल	योग
1	हिन्दी	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2	अँग्रेजी	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	6
3	संस्कृत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	उर्दू	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	विज्ञान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	गणित	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	सांख्यिक विज्ञान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	याथैतिक शिक्षा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	संगीत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	2	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	7

निदेशक (आ0 शि0) बिहार के पत्रांक 1592, दिनांक 03.08.2012 एवं उल्लेखित सामान्य पशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 458 दिनांक 30.09.2002 के निदेशानुसार निम्न सभ्यत्वधर में दोसरे दिनु 17, 50 एवं 84 को उअ सभ्यत्वधर में विकलांग का नियोजन किया जाएगा।

प्रशासन किया जाता है कि यह प्रकाश कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त निदेश के अनुसार ही किया गया है।
बिहार सरकार, सामान्य पशासन विभाग, पटना के पत्रांक 2342 दिनांक 15.02.16 के आदेश के आलोक में आरक्षित एवं और आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत कैतिज आरक्षण नियमानुसार देय है।

बिहार सरकार, सामान्य पशासन विभाग, पटना के पत्रांक 2526 दिनांक 18.02.16 के आदेश के आलोक में राज्य के खतबरा सेवासिधों के मोत-मोती, जानी-जतनी को 02 प्रतिशत नियमानुसार आरक्षण देय है।


 जिला कार्याकार पदाधिकारी
 (आस्थात्मिक), वैशाली


 जिला शिक्षा पदाधिकारी,
 वैशाली